



2026:AHC-LKO:1278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1282/2025

मों. शमीम

...याचिकाकर्ता/कर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 11 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – लाल बहादुर खान

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल बहादुर खान, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
- जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम-इटरौरा, तहसील- अकबरपुर, अंबेडकर नगर में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता भूमि (कब्रिस्तान), जिसका गाटा क्रमांक 405 है और क्षेत्रफल 1.1760 हेक्टेयर है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को लिखित निर्देशों के आधार पर सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही वर्ष 2024 से लंबित है।
- तदनुसार, इस याचिका का निस्तारण यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए संस्थित की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक पूर्ण किया जाएगा, और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

8 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।